न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 62/2009

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 लाला (मृत)।
1/1 मुन्नी स्त्री लाला।
1/2 असमत पुत्र लाला।
1/3 असमत पुत्र लाला।
1/4 महमूद पुत्र लाला।
1/5 आबिदा पुत्री लाला।
1/6 रजिया पुत्री लाला समस्त जाति मुसलमान निवासीगण दाडून्दा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुमताज खॉ पुत्र ईदुबक्स।
2 मुबारिक पुत्र मुमताज खॉ।
3 सतार पुत्र बशीर समस्त जाति काजी निवासी दाडून्दा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4 पेमाराम पुत्र टोड़ाराम।
5 कुंभाराम पुत्र सुरजाराम समस्त जाति चमार निवासीगण गौरास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6 अतिरिक्त तहसीलदार महोदय रामगढ़ सेठान।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7 पटवारी हल्का दाडून्दा।
8 उप पंजियक महोदय रामगढ़ सेठान।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.09
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर
बसिलसिले मुकदमा उनवानी लाला बनाम मुमताज
मु.नं. 18/2007 दावा बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा
अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट

उपस्थित

1. श्री सागरमल धायल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा वाद संख्या 18/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 238 तन ग्राम दाडुन्दा तहसील फतेहपुर प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर 7 तनकीयात कायम की बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तनकीयात पर विवेचन किये बिना वादी का वाद क्षेत्राधिकार में नही मानकर एंव पूर्व वाद के सिद्वान्त से बाधित मानकर खारिज कर दिया है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है अपीलांट खातेदार है। रेस्पोडेंट खातेदार नही है अत विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट के पूर्वजों का दावा पूर्व में खारिज हो चुका है विचारण न्यायालय ने विधिक विवेचन कर वाद वादी खारिज किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने कुल 7 तनकीयात कायम की हैं। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद तनकी संख्या 6 पर विवेचन कर क्षेत्राधिकार में नही मानकर एवं पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित मानकर खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने अन्य तनकीयात पर कोई विवेचन नही किया है पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि कृषि भूमि दर्ज है ऐसी स्थिति में यह प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना प्रथम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

दृष्टया साबित है। विचारण न्यायालय ने पूर्व न्याय के सिद्वान्त से वाद बाधित होने बाबत कोई तनकी कायम नही की है। न ही इस विषय पर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने बाबत तनकी कायम करे उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त करें बाद सुनवाई सम्पूर्ण तनकीयात पर तनकीवार विवेचन कर गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/11/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर